Knowledgeable Research | Vol-1, No-3, *October 2022*
An International Open-access Peer-reviewed Journal | **Web:** http://www.knowledgeableresearch.com/

दीनबन्धु सर छोटूराम की कृषक उत्थान में भूमिका

[1]राजेश कुमार एवं [2]डॉ॰ दीपक सिंह

[1]शोधार्थी (इतिहास विभाग) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला (अमरोहा) (उत्तर प्रदेश) भारत

[2]शोध पर्यवेक्षक (इतिहास विभाग) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला (अमरोहा) (उत्तर प्रदेश) भारत

ईमेल : vishendeepaksingh@gmail.com

****

शोध सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश के कोने-कोने में ऐसे कई महान लोगों का जन्म हुआ है। जिन्होंने गरीब ए किसान ए मजदूरों के हित में कार्य किया तथा उस समय के युग पुरूष के रूप में उन्हें मान्यता मिली थी। जब भारत को आज़ादी भी नहीं मिली थी। उस समय के तत्कालीन पंजाब में भी एक ऐसे युग पुरूष का जन्म हुआ जिन्हें हम सर छोटूराम के नाम से जानते हैं। ब्रिटीश सरकार ने सर छोटूराम से प्रभावित होकर इन्हें 'सर' की उपाधि प्रदान की थी। सामान्य वर्ग के लोगों ने इन्हें 'किसानों का मसीहा' रहबरे आज़म' तथा 'दीनबन्धु' जैसी उपाधि प्रदान की थी। सर छोटूराम तत्कालीन पंजाब के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन किसान ए मजदूरों को समर्पित कर दिया था। इसी कारण तत्कालीन पंजाब ही नहीं बल्कि समस्त भारत के किसान व मजदूर इन्हें अपना मसीहा मानते थे। यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर ही आधारित है इसमें सर छोटूराम के द्वारा कृषि के क्षेत्र में किये गये योगदान का विवरण दिया गया है।

Keywords: *सर छोटूराम पंजाब कृषि किसान*

****

पृष्ठभूमि:-

जो किसान की बात करेगा।

वही देश पर राज करेगा।।

दीनबन्धु सर छोटूराम का जन्म 24 नवम्बर 1881 ई॰ को तत्कालीन पंजाब के रोहतक जिले के गढ़ी सांपला गाँव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। यह परिवार एक जाट परिवारए जिसका गोत्र ओहलान था। दीनबन्धु सर छोटूराम की माता का नाम सिरिया देवी और पिता का नाम चौधरी सुखीराम था। सर छोटूराम का बचपन का नाम रामरिछपाल था। इनका विवाह अल्प आयु में 5 जून 1893 ई॰ को खेड़ी जट्ट गाँव के चौधरी नान्हा सिंह की पुत्री ज्ञानों देवी के साथ हुआ था। दीनबन्धु सर छोटूराम अपने सभी भाईयों में सबसे छोटे थे जिस कारण इनके परिवार वाले लोग इन्हें रामरिछपाल न कहकर 'छोटू' नाम से पुकारते थे। जब ये पहली बार प्रवेश हेतु विद्यालय गये तो इनके अध्यापक जी ने इनका नाम प्रवेश रजिस्टर में रामरिछपाल की जगह छोटूराम लिख दिया। आगे चलकर ये छोटूराम नाम से ही प्रसिद्ध हुए।

सर छोटूराम का अध्ययन करने वाले विद्धानों ने जो स्थान इन्हें मिलना चाहिए थाए वह दिला नहीं सकें। वास्तव में ये राष्ट्रीय स्तर के नेता थेए लेकिन आज भी इन्हें वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो होना चाहिए था। दीनबंधु सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद आगरा से वकालत प्रारंभ की थी बाद में रोहतक आकर इन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी थी। ये वकालत को धंधा नहीं बल्कि सेवा मानते थे। इनका व्यवहार मुवक्किलों के प्रति बहुत उदार होता था। जबकि कुछ व्यक्ति वकालत को अपना पेशा मानते थे और मुवक्किलों का शोषण करते थे। धीरे-धीरे कुछ वकील सर छोटूराम से ईष्या करने लगे। सर छोटूराम ने ग्रामीण मुवक्किलों विशेषकर 'जाट समुदाय' को प्रभावित किया और उनको कचहरी में होने वाली लूट से इन्हें बचाया। धीरे-धीरे इनका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में

बढ़ता चला गया। एक बार इन्होंने कहा था कि मैं 1912 ई० में रोहतक आया जहाँ अच्छे लोग पहले से ही मौजूद थे। चौधरी लालचन्द तथा कुछ अन्य आर्य समाजी लोगों ने सर छोटूराम को बहुत प्रभावित किया थाए इन सबसे सलाह करने के उपरांत इन्होंने जाट समाज के लोगों को जाग्रत करने का अभियान छेड़ दिया था। अब प्रश्न उठता था कि उस सोये हुए समाज को जाग्रत कैसे करा जायेघ् इस प्रश्न का उत्तर सर छोटूराम ने स्वयं ही खोजा। इन्होंने अपने जाट समाज के लिए सामाजिकए आर्थिकए राजनीतिक एवं शैक्षिक उत्थान से सम्बन्धित कार्यक्रमों को समाज में प्रस्तुत किया। चूंकि 1906 ई० में जाट महासभा का गठन हो चुका थाए जिसकी कुछ शाखाएं तत्कालीन पंजाब में भी स्थापित कराईए जिससे जाट समाज के उत्थान में एक गति प्राप्त हुई थी। इनके प्रयास से रोहतक जिले में जाट स्कूल स्थापित किये गये। जाट स्कूल की कार्यकारणी में सर्वसम्मति से सर छोटूराम को महामंत्री चुना गया और धीरे-धीरे सर छोटूराम जाट समाज के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो गये थे।

रहबरे आजम' एवं 'दीनबंधु' के रूप में सर छोटूराम का उदयः-

दीनबन्धु सर छोटूराम मुवक्किलों के साथ बहुत ही सम्मान जनक व्यवहार करते थे। ये मुवक्किलों के साथ बैठ जाते थे हुक्का भी उनके साथ ही पीते थे जिससे कुछ वकील इनसे नाराज रहने लगेए इन वकीलों का मानना था कि इस तरह के व्यवहार से वकीलों के सम्मान पर ठेस पहुँचती है। सर छोटूराम पर अन्य कुछ वकील तरह-तरह के व्यंग करते थेए लेकिन सर छोटूराम ने अपनी राह नहीं बदली और छोटूराम कब लोगों के 'रहबरे आजम' और 'दीनबंधु' बन गये पता ही नहीं चला। उधर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हो गया। जिसने सर छोटूराम को एक अलग नेता के रूप में पहचान दिलाई। तत्कालीन पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन बन गई थी जिसके सामने कांग्रेस व मुस्लिम लीग भी बहुत कमजोर थी। यूनियनिस्ट पार्टी बनने से पूर्व वर्ष 1914 ई० में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी सरकार को अब भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। सर छोटूराम ने जाट समाज के युवकों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। जिससे सर छोटूराम की एक किसान नेता के रूप में मजबूत स्थिति बनी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जिला सैन्य समिति का सचिव भी नियुक्त किया था। सर छोटूराम दूरदृष्टा थेए उनका मानना था कि सेना में भर्ती होने से किसानों के परिवारों को मुख्यतः दो प्रकार के लाभ होंगे पहल उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबू़ूत होगी और दूसरा जब वे घर से बाहर निकलेंगे तो उनका सामाजिक स्तर भी सुधरेगा। सरकार में उनकी हिस्सेदारी भी बनेगी। कालान्तर में सर छोटूराम की सोच बिल्कुल सही साबित हुई सैनिकों के परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर सुधरा। अंग्रेज सरकार ने युवकों को सेना में भर्ती कराने के फलस्वरूप 'सर छोटूराम को 'राव साहब' की उपाधि प्रदान की थी साथ ही साथ इन्हें 100 एकड़ भूमि भी प्रदान की गयी थी। वैसे तो सर छोटूराम पेशे से वकील थे लेकिन ये एक सफल पत्रकार के रूप में भी उभरकर सामने आये और एक क्रान्तिकारी लेखक के रूप में इन्होंने 1916 ई० में उर्दू में 'जाट गजट' नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यह समाचार पत्र साप्ताहिक थाए इसमें इन्होंने कुछ लेख 'बेचारा किसान' नाम से प्रकाशित किये। इसके अलावा बाजार ठग्गी की सैर' की लेखमाला भी प्रमुख है। आगे आने वाले समय में सर छोटूराम तत्कालीन पंजाब सरकार में विकास व राजस्व मंत्री बने। मंत्री रहते हुए इन्होंने गरीब किसानों के लिए बहुत से कार्य किये जिस कारण ये किसानों के मसीहा बन गये थे। दीनबंधु सर छोटूराम ने मंत्री रहते किसानों के हित में अनेक कानून बनवाये। प्रारंभ में सर छोटूराम कांग्रेस से जुड़े थेए लेकिन कांग्रेस की कुछ नीतियों के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। तत्कालीन राजनीति में सर छोटूराम एक मजबूत स्तंभ थेए जिनसे पं० मदन मोहन मालवीय भी प्रभावित हुए। सर छोटूराम ने अपना समस्त जीवन सर्वजन के हित में लगा दिया। तत्कालीन पंजाब के एक मुस्लिम नेता सर फजल हुसैन के साथ मिलकर सर छोटूराम ने वर्ष 1923 में एक राजनीतिक संगठन 'यूनियनिस्ट पार्टी' का गठन किया और ये जीवन पर्यन्त इसी पार्टी के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। इस पार्टी का नेतृत्व करते हुए अपना सम्पूर्ण जीवन धर्म निरपेक्ष कार्यक्रमों को करने में लगा दिया था। अपना जीवन मजदूरोंए किसानों व शोषितों के उत्थान के लिए लगा दिया था। इसी कारण तत्कालीन पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में उभरी तथा पंजाब में अपनी पूर्व बहुमत वाली सरकार बनी। सर छोटूराम स्वराज्य के प्रबल समर्थक थेए इसी कारण ये पहले कांग्रेस के सदस्य बने और गांधी जी द्वारा चलाये गये असहयोग आन्दोलन का समर्थन नहीं किया था। ये वर्ष 1924 ई० से वर्ष 1926

ई० तक पंजाब सरकार के मंत्रीमण्डल में रहे यह इनका प्रथम कार्यकाल था।

धीरे-धीरे तत्कालीन पंजाब के लोगों का कांग्रेस से मोह भंग होता जा रहा थाए लेकिन पंजाब के लोग अभी भी गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। दीनबंधु सर छोटूराम जिन्नाह द्वारा पंजाब में दखल देने के विरूद्ध थे। वर्ष 1937 में जिन्नाह एवं सिकंदर हयात के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर यूनियनिस्ट पार्टी के लोगों को मुस्लिम लीग के साथ रह सकते थे। दूसरी ओर बल्देव सिंह और सिकंदर हयात के मध्य 1942 ई० में एक समझौता हुआ। जिसे पंजाब की राजनीति ने अस्थिरता उत्पन्न हो गई और उधर सर छोटूराम जैसे नेता के न होने से यूनियनिस्ट पार्टी का बजूद कमजोर होता चला गया था।

चूंकि सर छोटूराम धर्मनिरपेक्ष थेए तो इनके समय हिन्दूए मुस्लिम व सिख सभी समान थे। इन्होंने कभी भी अपनी राजनीति में धर्म अथवा जाति को प्रभावी नहीं होने दियाए ये सभी जातियों को एक दृष्टि से देखते थे। इनका दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक था कभी भावावेश में आकर कोई कार्य नहीं करते थे। किसानों के हितों के लिए हमेशा लड़ते रहे। कुछ लोगों ने इनकी धर्मनिरपेक्षता को साम्प्रदायिकता से भी जोड़ना चाहा। इनका मानना था कि चाहे हिन्दूए मुस्लिम एवं सिख कोई भी हो सभी का सामाजिक एवं आर्थिक विकास एक समान होना चाहिए। युनियनिस्ट पार्टी का भी प्रमुख उद्देश्य यही बना जो सर छोटूराम चाहते थे लेकिन वर्ष 1945 ई० में सर छोटूराम का देहांत हो गया जिसके बाद पंजाब की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ युनियनिस्ट पार्टी कमजोर हो गई और धीरे-धीरे ये पार्टी खत्म हो गई।

दीनबंधु सर छोटूराम द्वारा कृषि में योगदानः-

सर छोटूराम का जन्म भी एक किसान परिवार में हुआ था तो में किसान की वेदना को अच्छे से जानते थे। उस समय किसानों के पास भूमि तो थीए लेकिन उस भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थीए जिस कारण किसानों को मानसून पर निर्भर रहना पड़ता था। किसानों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। जिस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था वहाँ का पानी भी खारा था और सिंचाई के साधन भी कम थे भूमिगत जल भी बहुत नीचे था बोरिंग करना भी आसान नहीं था। अब सर छोटूराम ने राजनीति में आते ही अपना लक्ष्य बना लिया था कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे। चूंकि सर छोटूराम ने स्वयं किसानों का शोषण सूदखोराए महाजनों और भ्रष्ट नौकरशाही द्वारा होते देखा था। शोषितों के जीवन में खुशियां लाने के लिए सर छोटूराम ने अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया था। उस समय कृषि ही देश की रीढ़ थी। जिस समाज (जाट) में इनका जन्म हुआ वे अधिकांश किसान थेए जो कृषि के महत्व को समझते थे। दूसरी प्रमुख समस्या किसानों को तकनीक जानकारी न होना भी थी। बिना तकनीक विकास के कृषि लाभदायक पेशा नहीं बन सकती थी और न ही खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सकता था। दीनबंधु सर छोटूराम ने कृषि के क्षेत्र में तकनीकी विकास पर विशेष जोर दिया। किसानों को उन्नत किस्म के बीजए कृषि यंत्र मिलने लगे जिससे कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति सी आ गई थी। सिंचाई के लिए कुंएए ट्यूबैल (नलकूप) आदि की व्यवस्था भी सरकार द्वारा होने लगी जिससे कृषि के क्षेत्र में विकास सम्भव हुआ था। इसके अलावा सर छोटूराम के प्रयासों से कृषक हित में बहुत से कानून पास कराये गये जैसेः-

पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून-1907

वर्ष 1901 ई० में जो कानून था उसके अनुसार कृषि के योग्य भूमि को सिर्फ जमींदार को ही बेचा जा सकता था। गैर जमींदार जाति पर यह प्रतिबंध था कि वह 20 वर्ष से अधिक किसी भूमि को गिरवी नहीं रख सकती थी। इस कानून में वर्ष 1907 ई० में संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद भूमि पर कब्जें के अधिकार को परिभाषित किया गया। जमींदार एवं गैर जमींदार दोनों को खरीदने का अधिकार प्राप्त हुआ।

कर्जा माफी अधिनियम-1934

यह एक क्रान्तिकारी एवं ऐतिहासिक अधिनियम था। जिसे दीनबंधु सर छोटूराम ने 8 अप्रैलए 1935 ई० में किसानों को सूदखोरो के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया था। इस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई ऋणी व्यक्ति कुल ऋण का

दो गुना पैसा साहूकार आदि को दे चुका है तो ऋणी व्यक्ति को ऋण से मुक्त समझा जायेगा। इस अधिनियम के द्वारा ही कर्जा माफी बोर्ड बनाया गया जिसमें एक अध्यक्ष व दो अन्य सदस्य होते थे। इस अधिनियम के अनुसार ऋण देने वाला ऋणी व्यक्ति के दुधारूए पशुए बछड़ाए रेहड़ाए घेर आदि आजीविका के साधनों को निलाम नहीं किया सकता था।

साहूकार पंजीकरण एक्ट -1934

यह अधिनियम 2 सितम्बर 1938 ई० को लागू हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी भी व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकता था और न ही किसानों पर अदालत में इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा कर सकता था।

कृषि उत्पाद मण्डी अधिनियम-1938

यह अधिनियम 5 मई सन् 1939 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत नोटिफाइड एरिया में मार्केट कमेटियों का गठन किया गया था। एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उस समय किसानों को उनकी फसल के मूल्य का केवल 60 प्रतिशत ही मिल पाता था। किसानों को अनेक कटौतियों का सामना करना पड़ता था जैसे आढ़तए तुलाईए रोलाईए मुनिमीए पल्लेदारीए आदि। इस कानून के द्वारा किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम दिलवाने की व्यवस्था की गई। आढ़तियों एवं साहूकारों के शोषण से किसानों को मुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी अधिनियम-1938

यह अधिनियम 9 सितम्बर 1938 ई० को प्रभावी हुआ इस अधिनिमय के अन्तर्गत जो भूमि 8 जून 1901 ई० के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से वह भूमि गिरवी चली आ रही थी। वे सारी जमीनें किसानों को वापस दिलवायी गयी। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक सादे कागज पर जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में अगर मूल राशि से दोगुनी राशि साहूकार ने प्राप्त कर ली है तो किसान की उस भूमि पर किसान को पूर्ण स्वामित्व दिये जाने का प्रावधान किया गया।

उपरोक्त कानूनों के अलावा ऐसे बहुत से कानून बने जिनसे किसानों को लाभ मिला। साहूकारों के व्यवहार में भी परिवर्तन आया। कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ।

मण्डी जल विद्युत योजना

दीनबंधु सर छोटूराम ने कृषक समुदाय के हित में ऐसे अनेक कार्य किये जिनमें से मण्डी जल विद्युत योजना भी प्रमुख है। सर छोटूराम के मंत्री बनने पर इन्हें कृषि विभाग दिया गया। इनके सहयोग से माधवपुर जल विद्युत योजनाए मण्डी जल विद्युत योजना को प्रारंभ किया गया। जिससे आधे से भी अधिक पंजाब को बिजली और पानी मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

कृषक सहायता कोष की स्थापना

दीनबंधु सर छोटूराम उन सभी प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को जानते थेए जिनसे किसानों को हानि होती थी। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे अतिवृष्टिए अनावृष्टिए ओले पड़नाए टिड्डी का प्रकोप आदि किसानों की फसलों को बर्बाद कर देता था। तत्कालीन पंजाब के कृषकों को इन आपदाओं से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने एक कृषक सहायता कोष की स्थापना की थी। पंजाब सरकार ने इसमें 55 लाख रूपये की राशि जमा की थी।

यदि उपरोक्त आपदाओं के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती थी तो इस कोष से किसानों को दी जाने वाली राशि वापिस नहीं ली जाती थी। पंजाब सरकार ने माल गोदाम स्थापित करवाये। किसानों को पूर्ण लाभ मिल सकें इसके लिए अथक प्रयास किये।

भाखड़ा बाँध योजना

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही भाखड़ा बाँध योजना पर अंग्रेज इंजीनियरों ने काम करना प्रारंभ कर दिया थाए लेकिन धन के अभाव में यह योजना फाइलों तक ही सीमित रही। दीनबंधु सर छोटूराम ने मंत्री बनते ही उन फाइलों को अपने समक्ष मंगाया और इस योजना को मूर्त रूप के लिए अथक प्रयास करने लगे। अनेक कठिनाईयों एवं विरोधों के बावजूद दीनबंधु सर छोटूराम ने आने वाली

कठिनाईयों को दूर करने में सफल रहे और इन्हीं के अथक प्रयास से आगे भाखड़ा बाँच योजना स्थापित हुई।

निष्कर्ष

भारत में पंजाब और हरियाणा का विशेष स्थान हैए ये राज्य कृषिए उद्योग आदि की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। आजादी से पूर्व हरियाणा भी पंजाब का ही एक हिस्सा था यहाँ दीनबंधु सर छोटूराम ने जन्म लिया यह एक अच्छे राजनेता के साथ-साथ किसानों के सच्चे हितैषी थे। अपना जीवन शोषितोंए पीड़ितों के उत्थान के लिए लगा दिया। इनके पास राजनीतिक सूझ-बूझ बड़ी अच्छी थी। इनका चरित्र इनको एक महामानव की श्रेणी में रखता है। इन्होंने जात-पातए भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य किया। यह बहुत ही उदार थेए सभी धर्मो मे इनकी आस्था थी। यह धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। ऐसे व्यक्तित्व बिरले ही पैदा होते है। इनकी विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते है कि यह तत्कालीन पंजाब के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिए एक युगपुरूष और किसानों के मसीहा थे। इनके विचार अत्यंत ही प्रेरक एवं प्रभावशाली हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः-

1ण् सिंहए हरि द्वारा उर्द्धत: दीनबन्धु चौ० सर छोटूराम जीवन चरितए चौधरी सर छोटूराम मिशनए खेड़ी जट्ट।

2ण् सिंहए बलवीर: सर छोटूराम: ए सांगा ऑफ इन्सपाइरेशनल लिडरसीपए प्रकाशन विभागए दिल्ली।

3ण् पंजाब विधानसभा कार्यप्रणाली 12 जून 1937 त्रिमूर्ति लाइब्रेरी नई दिल्ली।

4ण् शास्त्रीए रघुवीर सिंह (1965द्धरू चौधरी छोटूराम जीवन चरितए चौधरी छोटूराम मैमोरियल ट्रस्ट रोहतक।

5ण् सिंहए रणजीत (1989द्धरू छोटूराम गौरवगाथाए छोटूराम मैमोरियल सोसायटी रजि०ए रोहतक।

6ण् सांगवानए सूरजमल (1989द्धरू किसान संघर्ष तथा विद्रोह: दीनबन्धु सर छोटूराम के सन्दर्भ में वेदव्रत शास्त्री आचार्य प्रिटिंग प्रेसए दयानंद मठए रोहतक।

7ण् दलालए डॉ० अनिल (2017द्धरू प्रशासक सुधारक चौधरी छोटूरामए अर्थ विज्ञन पब्लिकेशन्सए गुरूग्राम हरियाणा।

8ण् मलिकए डॉ० एस०एस० (2019द्धरू दीनबन्धु सर छोटूराम एक कुशल प्रशासक एवं युग प्रवर्तक: अर्थ विज्ञन पब्लिकेशन गुरूग्राम।

9ण् कुमारए ललित (2022द्ध ;सम्पादक): बेचारा किसान डी०के० खापर्डे मेमोरियल ट्रस्टए मुम्बई।

10ण् प्रो० पेमाराम (2023द्धरू भारत के जाट रत्नए राजस्थानी ग्रन्थागारए जोधपुर।